उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 5-11-85 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
3- श्री माता प्रसाद		सदस्य
4- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
5- श्री आनन्द प्रकाश मिश्र		सदस्य
6- श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी	संयुक्त सचिव, आवास (सचिव आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री आर०के०श्रीवास्तव	अनु सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8- श्री बी०एस०गर्ग	निदेशक (वित्त) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	सदस्य
9- श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
10-श्री जे०पी०शर्मा	वरिष्ठ नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
11-श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य
12-श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	सचिव	

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 20, 27 जुलाई तथा 2 अगस्त-1985 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(1)/85	परिषद की दिनांक 20, 27 जुलाई तथा 2 अगस्त-1985 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। श्री आर०के०श्रीवास्तव, अनुसचिव, वित्त विभाग वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा इंगित करने पर यह निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत्त के मद सं०-3, 49, 15, 20 व 22 के सम्बन्ध में वे आबजर्वेशन अलग से परिषद को प्रेषित करें ताकि उनको कार्यवृत्त में समायोजित किया जाय और यदि किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो वह की जाये।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 20, 27-7-85 तथा 2-8-85 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(2)/85	परिषद द्वारा दिनांक 20, 27-7-85 तथा 2-8-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा परिषद ने निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया:- 1- मद सं०-5 के सम्बन्ध में धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों की अप्राप्ति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि अभिलेखों का समाधान एक माह के अन्तर्गत कर लिया जाये। 2- मद सं०-4 से सम्बन्धित बिन्दु जो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था से सम्बन्धित है पैर समिति की बैठक समय समय पर की जाये। जिसमें ब्यूरो के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।

1	2	3	4
		आवश्यकता पड़ने पर समिति धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों की आपूर्ति के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही करेगी। 3- मद सं0-9 जो परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा में पेय जल की व्यवस्था के सम्बन्ध में है की अनुपालन आख्या के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि जल संस्थान से यह स्थिति स्पष्ट करा ली जाय कि जल आपूर्ति की व्यवस्था समय पर की जा सकती है अथवा नहीं ताकि परिषद जल आपूर्ति के लिये कोई अन्य शीघ्र कालीन व्यवस्था कर सके।	
3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(3)/85	परिषद को यह अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के समक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति और परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत किया गया। अनुश्रवण समिति ने वर्ष-85-86 के भवन निर्माण भूमि अर्जन भूमि विकास और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियों का अनुश्रवण किया तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण की प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की और यह निर्देश दिये कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें प्रत्येक दशा में समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	
4- परिषद की भवन निर्माण विनियमावली के गज़ट में प्रकाशन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(4)/85	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विचाराधीन भवन निर्माण विनियमावली जो परिषद द्वारा पहले से ही अनुमोदित हो चुकी है को शासन से प्राप्त सुझावों को समाविष्ट करते हुये गज़ट में प्रकाशित किया जाय और स्वीकृत विनियमावली की प्रतियां शासन को भी सूचनार्थ एवं अनुरोध के साथ प्रेषित की जायें। कि यदि इसके बारे में भविष्य में शासन द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय लिये जायें तो इसकी सूचना परिषद को भी दी जाये।	
5- इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-14 (भाग) के लिये हडको की कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(5)/85	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-14 के एक भाग के लिये हडको की कन्सलटेंसी सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर हडको जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की ली जाय। तदोपरान्त परीक्षण की आख्या आवास आयुक्त को प्रस्तुत की जाय। उक्त आख्या का परीक्षण अध्यक्ष महोदय, आवास आयुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा किया जायेगा।	
6- कासगंज, लखनऊ, खुर्जा, बड़ोत, खतौली तथा गोरखपुर में समाज के कमज़ोर व्यक्तियों के लिये दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण तथा विकास कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(6)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।	
7- कुर्सी रोड योजना, लखनऊ में श्री अमृत लाल नागर दस भूखण्ड की भूखण्ड पुर्दशन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(7)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	
8- कमला नगर योजना, आगरा स्थित सिनेमा भूखण्ड की कम्पाउन्डिंग के सम्बन्ध में अपील।	चतुर्थ/(8)/85	कमला नगर योजना, आगरा स्थित सिनेमा भूखण्ड के कम्पाउन्डिंग की अपील तथा तत्सम्बन्धी बिन्दुओं के समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श	

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 5-11-85 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री नोनिहाल सिंह		सदस्य
3- श्री माता प्रसाद		सदस्य
4- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
5- श्री आनन्द प्रकाश मिश्र		सदस्य
6- श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी	संयुक्त सचिव, आवास (सचिव आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री आर०के०श्रीवास्तव	अनु सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8- श्री पी०एस०गर्ग	निदेशक (वित्त) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	सदस्य
9- श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
10-श्री जे०पी०शर्मा	वरिष्ठ नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
11-श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य
12-श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	सचिव	

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 20, 27 जुलाई तथा 2 अगस्त-1985 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(1)/85	परिषद की दिनांक 20, 27 जुलाई तथा 2 अगस्त-1985 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। श्री आर०के०श्रीवास्तव, अनुसचिव, वित्त विभाग वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा इंगित करने पर यह निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत्त के मद सं०-3, 49, 15, 20 व 22 के सम्बन्ध में वे आबजर्वेशन अलग से परिषद को प्रेषित करदें ताकि उनको कार्यवृत्त में समायोजित किया जाय और यदि किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो वह की जाये।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 20, 27-7-85 तथा 2-5-85 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(2)/85	परिषद द्वारा दिनांक 20, 27-7-85 तथा 2-8-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा परिषद ने निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया:- 1- मद सं०-5 के सम्बन्ध में धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों की अप्राप्ति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि अभिलेखों का समाधान एक माह के अन्तर्गत कर लिया जाये। 2- मद सं०-4 से सम्बन्धित बिन्दु जो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था से सम्बन्धित है पैर समिति की बैठक समय समय पर की जाये। जिसमें ब्यूरो के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगें।

1	2	3	4
			किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सिनेमा भूखण्ड नीलामी की प्रक्रिया से उच्चतम बाजार दर पर आवंटित किया गया था अत: कम्पाउन्डिंग समिति द्वारा निर्धारित कम्पाउन्डिंग शुल्क में अनाधिकृत निर्माण के लिये भूमि का रू0 700/= प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किया गया अतिरिक्त मूल्य न लिया जाय। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि स्टेट बैंक में भूतल के कम्पाउन्डिंग हो जाने के उपरान्त प्रथम और द्वितीय तल के लिये कम्पाउन्डिंग शुल्क न लिया जाये। इस प्रकार अन्तिम रूप में परिषद की वर्तमान बैठक में किये गये कम्पाउन्डिंग की पुनरीक्षित दरों के अनुसार रू0 34080/= कम्पाउन्डिंग शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया।
9-	स्वयं वित्त पोषित योजना में परिषद द्वारा आवंटिक तथा उसके परिवार को एक से अधिक सम्पत्ति के प्रदेशन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(9)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	मेरठ इटावा तथा लखनऊ आदि नगरों में समाज के कम आय वर्ग के आवासीय भवन ह0आ0व0भवनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(10)/85	परिषद विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति इस इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
11-	परिषद मुख्यालय पर स्थापित सामग्री कोष्ठ का पदनाम बदल कर नियोजन कोष्ठ द्वितीय किये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/(11)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृतिप्रदान की गयी।
12-	श्री ब्रहम दत्त लोक सभा सदस्य (भूतपूर्व विधायक) को राजपुर रोड योजना देहरादून में स्वयं वित्त पोषित भवन आवंटन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(12)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
13-	स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1985 के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में विभिन्न श्रेणी के 88 भवनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(13)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
14-	स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1985 के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में विभिन्न श्रेणी के 222 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(14)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	वित्तीय वर्ष-82-83 से 86-87 के लेखों के सम्परीक्षण हेतु बाह्य सम्परीक्षक नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(15)/85	परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष-82-83 से 86-87 के लेखों के सम्परीक्षण हेतु बाह्य सम्परीक्षक नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष-82-83, 83-84, 84-4-85, 85-86 के वर्षों के लिये ही प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय लेखा परीक्षक से सम्परीक्षण कार्य कराया जाये। इस बीच शासन महालेखाकार इलाहाबाद तथा कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया से पत्र व्यवहार किया जाये कि 86-87 से महालेखाकार द्वारा परिषद का लेखा सम्परीक्षण कार्य कराया जाये।

1	2	3	4
16-	श्री उमेश मोहन शर्मा, सहा० अभियन्ता को पुनः परिषद सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(16)/85	श्री उमेश मोहन शर्मा, सहा० अभियन्ता को परिषद सेवा में पुनः लिये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुये उन्हें पुनः परिषद सेवा में ले लिया जाये और बीच के खाली समय की अवधि को बिना वेतन की सेवावधि मान ली जाये तथा इनका सेवा काल जारी माना जाये।
17-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के नियम-5 (ख) में संशोधन।	चतुर्थ/(17)/85	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
18-	सेवा निवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नगद भुगतान की प्रक्रिया परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(18)/85	परिषद द्वारा सेवा निवृत्त के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि के नकद भुगतान की प्रक्रिया को परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को संदर्भित किया जाये और उनसे आवश्यक निर्देश लिये जायें।
19-	आवास परिषद के मुख्यालय पर संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव के पद का पदनाम उच्चीकृत करके अपर आवास आयुक्त एवं सचिव करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(19)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि वेतनमान के अनुसार प्रोविंशियल सिविल सेवा (प्रशासकीय शाखा) के उच्च वेतन रुपया 2300-2700 के अधिकारी का पदनाम अपर आवास आयुक्त एवं सचिव होगा तथा वेतनमान-1840-2400 में कार्यरत अधिकारी का पदनाम संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव होगा।
20-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की सेवा विनियमावली के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(20)/85-	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- विनियमावली हिन्दी में होगी। 2- सा०उ०ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी की सेवाओं के सम्बन्ध में मॉडल रूल बनाए हैं अतः आवश्यक मार्गदर्शन ब्यूरो से प्राप्त किया जाये। 3- शासन के रूल सेल से इस सम्बन्ध में परामर्श भी किया जाये और तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
21-	नई आवासीय योजनाओं के संचालन हेतु आवास आयुक्त द्वारा धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों की परिषद के विचारार्थ/सूचनार्थ सूची।	चतुर्थ/(21)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	कानपुर तथा लखनऊ नगरों में समाज के कम आय वाले व्यक्तियों के लिये दु०आ०व० तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(22)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस आपत्ति के साथ अनुमोदित कि भविष्य में रेशनलाइज्ड दरों को समाविष्ट करते हुए स्वीकृति ली जाये और दरों पर पुनर्विचार छः माही एक वर्ष में अवश्य किया जाना चाहिये।

1	2	3	4
23-	आवास परिषद की गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गदरपुर में समाविष्ट खसरा नं0-113 में स्थित सर्वश्री सतीशचन्द्र लक्ष्मण दास व रमेश लाल के निर्माण 100x100 फुट को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(23)/85	परिषद की गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गदरपुर में समाविष्ट खसरा नं0-113 में सर्वश्री सतीशचन्द्र लक्ष्मण दास, व रमेश लाल के निर्माण 100 फीटx100 फीट को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुये इनकी प्रार्थना अस्वीकृत की गयी।
24-	हडको वित्त पोषित 13 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(24)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर 21 एवं 24 में उ0प्र0 सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ तथा उ0प्र0 जल निगम को प्रदिष्ट भूखण्डों के मूल्य की दर में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(25)/85	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-21 एवं 24 में उ0प्र0 सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ तथा उ0प्र0 जल निगम को प्रदिष्ट भूखण्डों के मूल्य की दर में कमी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वांछित रियायत दिया जाना संभव नहीं है तथा यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा यह माँग की जाती है कि निर्धारित मूल्य की धनराशि का भुगतान किस्तों में किया जाये तो परिषद द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।
26-	अध्यक्ष की अनुमति से	चतुर्थ/(26)/85	प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का शीघ्र परीक्षण किया जाये जिसमें [illegible] एवं ग्राम नियोजक [illegible] के प्रतिनिधि श्री भार्गव डिप्टी चीफ टाउन प्लानर तथा अपर आवास आयुक्त दोनों यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को कार्यान्वित करने में परिषद पर कोई वित्तीय भार न पड़े। यह समिति अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त से परामर्श लेती रहेगी और [illegible] की विभिन्न प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी। उसके निष्कर्षों से परिषद को आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा।
27	अध्यक्ष की अनुमति से	चतुर्थ/(27)/85	परिषद द्वारा पूरे मामले पर विचार करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत नोट के परिप्रेक्ष्य तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाये जिसमें माननीय अध्यक्ष आवास आयुक्त और वित्त विभाग के प्रतिनिधि तथा मुख्य अभियन्ता होंगे। इसके निष्कर्षों से परिषद को आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा।
28	सहायक अभियन्ता (सिविल) के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि।	चतुर्थ/(28)/85	दिनांक 8-11-85 की बैठक में पुनः रखने हेतु स्थगित।
29-	आवास परिषद की जनपद बाराणसी में प्रस्तावित फतेहपुर एवं तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में प्रभावित काश्तकारों को लमसम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(29)/85	दिनांक 8-11-85 को बैठक में रखने हेतु स्थगित।

1	2	3	4
30-	हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 हल्द्वानी (क्षेत्रफल 24.73 एकड़ अनुमानित लागत रू0 131.31 लाख)	चतुर्थ/(30)/85	हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 हल्द्वानी का भूमि अर्जन संबंधी प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
31-	रानीखेत भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (चिलियानौला) रानीखेत (क्षेत्रफल 4.37 एकड़ अनुमानित लागत रू0 10=31 लाख (मात्र))	चतुर्थ/(31)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त रानीखेत भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (चिलियानौला) का भूमि अर्जन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
32-	फैजाबाद, अलीगढ़, गोण्डा गोरखपुर, रूद्रपुर, लखनऊ व कन्नौज के कमजोर व्यक्तियों के लिये द0आ0 व0 तथा अल्प आय वर्ग के भवन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(32)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	हडको वित्त पोषित 8 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(33)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
34-	प्रतापगढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 प्रतापगढ़।	चतुर्थ/(34)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि योजना का परित्याग कर दिया जाय।
35-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 (यथा संशोधित जू-1984 के विनियम-42 के संशोधन हेतु निर्णय लिया जाना।	चतुर्थ/(35)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	परिषद की [illegible] योजना, [illegible] में श्रीमती आलिया बेगम को मध्यम आय वर्ग के भवन का आवंटन हेतु विचारार्थ टिप्पणी।	चतुर्थ/(36)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। श्रीमती आलिया बेगम की उनकी परिस्थितियों को देखते हुये प्रस्ताव के अनुसार मध्यम आय वर्ग का भवन प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाये।
37-	[illegible] नगर योजना सं0-2 तथा देहरादून [illegible] नगर योजना में बी0एच0-I बी0एच0-II तथा बी0एच0-III के एवं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(37)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	आगरा, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ शहरों में द0आ0व0 के भवनों के निर्माण हेतु न्यू बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(38)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

1	2	3	4
39-	परिषद योजना में विधायकों/भूतपूर्व विधायकों को 4% आरक्षण के अन्तर्गत भवन/भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(39)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । भवन/भूखण्ड आवंटन की सुविधा भूतपूर्व विधायकों को तभी मिल पायेगी, जब उन्होंने अपने विधायक काल में परिषद में चाहे गये भूखण्ड/भवन के लिये पंजीकरण की धनराशि जमा कर दी हो ।
40-	परिषद की मान सरोवर योजना में माननीय नियाज हसन विधान सभा अध्यक्ष को भवन आवंटन के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(40)/85	परिषद की मान सरोवर योजना में माननीय श्री नियाज हसन, अध्यक्ष, विधान सभा को भवन आवंटन करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।
41-	परिषद योजनाओं में शिक्षण संस्था साम्प्रदायिक केन्द्र आदि का रियायती दर पर भूमि प्रदेशन के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(41)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
42-	इन्दिरा नगर योजना देहरादून में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूमि हेतु निर्धारित विकसित भूमि दरों पर पुनर्विचार ।	चतुर्थ/(42)/85	दिनांक 8-11-85 को पुन: बोर्ड बैठक में रखने हेतु ।
43-	परिषद द्वारा पुनर्ग्रहित होने वाले भूखण्डों पर निर्माण अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(43)/85	परिषद द्वारा पुनर्ग्रहित होने वाले भूखण्डों को निर्माण अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्न 5 श्रेणी के लोगों को 13 वें, 14 वें व 15 वें वर्ष के लिये निर्माण शुल्क क्रमश: 40% 50% तथा 60% लेकर इसे आवास आयुक्त अथवा अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थितियों में यथोचित निर्णय ले लें । 1- सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक 2- सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी 3- सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी 4- विधवायें एवं विकलांग व्यक्ति 5- अन्य मामले जो आवास आयुक्त के मत में अपरिहार्य हों और जिन्हें हार्डकेस की संज्ञा दी जा सकती हो ।
44-	श्री सीताराम स्वरूप मिश्र भूतपूर्व विधायक को सहारनपुर योजना सं0-5 में अल्प आय वर्ग भवन सं0-एम0-127 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(44)/85	श्री रामस्वरूप मिश्र का प्रस्ताव के अनुसार भवन आवंटित किये जाने हेतु परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि इस प्रकरण को भविष्य के लिये दृष्टान्त न बनाया जाये ।
	45 से 51 तक की मदों को बोर्ड बैठक में दिनांक 8-11-85 को रखने हेतु स्थगित किया गया ।		
52-	(अ) खीरी रोड योजना, लखीमपुर खीरी दुर्बल आय वर्ग के 234 तथा अल्प आय वर्ग के 84 भवनों का निर्माण । (ब) गाजियाबाद योजना सं0-3 गाजियाबाद में दुर्बल आय वर्ग के 578 भवनों का निर्माण (स) बुलन्दशहर योजना सं0-1 में दुर्बल आय वर्ग के 446 भवनों एवं अल्प आय वर्ग के 243 भवनों का निर्माण । (द) सीतापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सीतापुर में ज0आ0ब0 के 47 भवनों का निर्माण ।	चतुर्थ/(52)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
53-	कम्पाउन्डिंग की वर्तमान दरों का पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(53)/85	कम्पाउन्डिंग का वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में परिषद मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15-9-84 से पूर्व प्रचलित दरों (प्रतिलिपि-संलग्न) पर ही कम्पाउन्डिंग की जाये और इसे तत्काल से प्रभावी माना जायगा ।

1	2	3	4
54-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में बाबा भूतनाथ आश्रम में दो मंजिला दुकानों के ऊपर तीसरी मंजिल पर प्रस्तावित निर्माण के संबंध में	चतुर्थ/(54)/85	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-5 में बाबा भूतनाथ आश्रम में दो मंजिली दुकानों के ऊपर तीसरी मंजिल पर प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तीसरी मंजिल के प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दे दी जाये कि पूर्व में कम्पाउण्डिंग में लिये गये शमन की 25% धनराशि भी प्रत्येक दशा में सम्बन्धित से परिषद खाते में जमा करायी जाय ।
55-	परिषद योजनाओं के व्यावसायिक केन्द्रों में सेवा उद्योगों के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने के संबंधों में ।	चतुर्थ/(55)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
56-	परिषद की पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 व 3 बाराबंकी में श्रीमती राज किशोरी देवी की भूमि सं0-108, 109 तथा 332 को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(56)/85	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखने हेतु स्थगित ।
57-	भूमि अर्जन के सम्बन्ध में गत बैठक के निर्णय के अनुसार विचाराधीन और मानक समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(57)/85	तदैव
58-	श्री राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव को परिषद में पुनर्स्थापित करने के संबंध में ।	चतुर्थ/(58)/85	तदैव
59-	हड़को वित्त पोषित तुलसी हड़को एल0आई0जी0 प्रोजेक्ट बदायूं (स्कीम नं0-1 उ0प्र0 (स्कीम नं0-4126)	चतुर्थ/(59)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
60-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम-1979 (यथा संशोधित जून-1984 तक) के नियम 22 भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनिवार्य अवधि में संशोधन ।	चतुर्थ/(60)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
61-	पंजीकरण योजनाओं का नामकरण ।	चतुर्थ/(61)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।
62-	परिषद योजनाओं में अशासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये नीति निर्धारण ।	चतुर्थ/(62)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि अशासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये नीति निर्धारण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त [illegible] को 4500 वर्गमीटर भूमि की स्वीकृति इन शर्तों के साथ दी जाती है कि वे उक्त भूमि में अस्पताल तथा एलाइड फैसिलिटीज को स्थापित करेंगे और योजना में स्थित आवंटियों को सुविधायें उपलब्ध करायेंगे । उक्त योजना में रु0 345 प्रति वर्गमीटर की दर से जीवन बीमा निगम और बैंकों को भूमि आवंटित की गयी । उक्त क्षेत्र में भूमि की निकासी की दर 240/= प्रति वर्ग मीटर है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इसकी दुगनी दर रु0 480/= प्रति

1	2	3	4
25-	खण्डों में पद समर्पित करने के संबंध में ।	पंचम/(25)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
26-	श्री पी०पी०भटनागर सेवा-निवृत्त मण्डलीय लेखाकार को परिषद में मण्डलीय लेखाकार के पद पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में ।	पंचम/(26)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री पी०पी०भटनागर सेवा निवृत्त मण्डलीय लेखाकार को । अक्टूबर, 84 के बाद सेवा में न रखा जाये और उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाये ।
27-	प्रतापगढ़ योजना सं0-2 में समाविष्ट राजा अजीत प्रताप सिंह की भूमि के संबंध में ।	पंचम/(27)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
28-	आगरा में श्री आजाद कुमार कर्दम को प्रदिष्ट भूखण्ड सं0-डी-2/1 के संबंध में ।	पंचम/(28)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
29-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना के सेक्टर-22 में अल्प आय वर्ग डब्ल 1/77 प्रकार के 43 तथा अल्प आय वर्ग 18/56 प्रकार के 65 भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।	पंचम/(29)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
30-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में सीवर शुल्क लगाने के संबंध में ।	पंचम/(30)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष महोदय की ओर से एक स्वतः स्पष्ट पत्र माननीय नगर विकास मंत्री जी के लिये प्रस्तुत करेंगे जिसमें राजाजी पुरम योजना में सीवर शुल्क लगाने के औचित्य आदि पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय उक्त पत्र के साथ मंत्री जी से विचार कर उचित निर्देश प्राप्त करेंगे । यह मामला परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित किया गया ।
31-	परिषद के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिये सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में ।	पंचम/(31)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रयोगात्मक रूप में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राजकीय निर्माण निगम की कार्य-प्रणाली लागू की जाय और इससे जो सहूलियतें या कठिनाईयां आ रही हों उससे अगली बैठक में परिषद को अवगत कराया जाये ।
32-	शेलपुरा योजना वाराणसी में कैलाश हाजीसिंह कम्पनी को भूमि दिये जाने के संबंध में ।	पंचम/(32)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

1	2	3	4
			वर्गमीटर पर अर्द्ध व्यावसायिक संस्था होने के कारण इन्हें कुल 4500 वर्ग मीटर भूमि (4 भवन्स जो साथ सैंथ लगे हों) उपलब्ध करा दी जाये। साथ ही आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद हित के लिये अन्य आवश्यक शर्तें अर्द्धव्यवसायिक संस्था पर लगा दी जायें। यह मामला भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं होगा।
63-	परिषद की देहरादून योजना में श्रीमती कमला खरोला को म0आ0व0का भवन किस्तों में आवंटित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(63)/85	परिषद की इसी बैठक में दिनांक 8-11-85 को रखने हेतु स्थगित।
64-	आवास परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मुरादाबाद में समाविष्ट श्री इकबाल नबी के खसरा सं0-331 के अर्जन मुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/(64)/85	-तदैव-
65-	श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, आशुलिपिक शोध एवं विकास कोष्ठ के चिकित्सा क्लेम की प्रतिपूर्ति।	चतुर्थ/(65)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
66-	प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों तथा परिषद के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर माननीय विधायकों की भाँति भूमि/भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(66)/85	प्रदेश के माननीय संसद सदस्य तथा परिषद के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर माननीय विधायकों की भाँति भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री राम पाल सिंह, सदस्य आवास विकास परिषद को बेतियाहाता (कार्नर आफ वार्ड) गोरखपुर में स्थित वाटर टैंकी तथा कार्यालय के बीच की भूमि में स्थित भूखण्ड को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
67-	श्री रियासत हुसैन, भूतपूर्व विधायक को दमदमा कोठी आवास योजना मुरादाबाद में उ0आ0व0 का एक भवन रिक्त होने पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(67)/85	श्री रियासत हुसैन, भूतपूर्व विधायक को दमदमा कोठी आवास योजना, मुरादाबाद में उच्च आय वर्ग का एक भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिद्धान्त: गेस्ट हाउस के अतिरिक्त अन्य कोई भी उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के भवन उपलब्ध तथा रिक्त होने पर इन्हें आवंटित किया जाये तथा शासन को भी इससे सूचित किया जाय।
68-	वर्ष-1985 नये नगरों में म0 वि0पो0पंजीकरण खोलने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(68)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
69-	अध्यक्ष की अनुमति से	चतुर्थ/(69)/85	अमेठी जिला सुल्तानपुर की आवासीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अमेठी नगर क्षेत्र को परिषद अपने कार्य क्षेत्र में शासन के अनुमोदनोपरान्त ले ले और इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त के स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष

क्रै

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, [illegible] मार्ग पर दिनांक 8-11-85 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की चतुर्थ बैठक का शेष कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
3-	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4-	श्री आनन्द प्रकाश मिश्र		सदस्य
5-	श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी	संयुक्त सचिव, आवास (सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
6-	श्री आर0के0श्रीवास्तव	अनुसचिव वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री पी0एस0गर्ग	निदेशक (वित्त) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	सदस्य
8-	श्री जे0पी0शर्मा	वरिष्ठ नियोजक, (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य
10-	श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	सचिव	

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

1	2	3	4
क्र0सं0	विषय	संकल्प	निर्णय
28-	सहायक अभियन्ता (सिविल) के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि।	चतुर्थ/(28)/85	सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा परिषद की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स सर्विस रेगुलेशन-5 सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु संशोधन विनियम-5 इस प्रकार सर्वसम्मति से लिया गया

1	2	3	4
48-	मुजफ्फर नगर भूपा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-7 मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल 240-एकड़ तथा अनुमानित व्यय 1036.30 लाख)	चतुर्थ/(48)/85	मुजफ्फर नगर भूपा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-7 मुजफ्फर नगर की भूमि अर्जन के संबंध में मुजफ्फर नगर की गंभीर आवासीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुये नियोजन समिति की संस्तुति सर्वसम्मति से स्वीकृति की गयी । सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि नियोजन समिति की संस्तुति के प्रस्तर-4 में इंगित फ्लोर मिल तक पहुंचने के लिये पहुंना मार्ग तथा मिल के पास तक भूमि मिल के कच्चा माल और तैयार माल को ट्रकों में लादने व रखने आदि के लिये छोड़ी जाने के संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवास आयुक्त आवश्यक कार्यवाही करने तदोपरान्त धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाये ।
49-	शासनादेश का अक्षरशः तत्काल अनुपालन के बजाये पुनर्विचार करने हेतु निवेदन करने पर शासन को असंतोष ।	चतुर्थ/(49)/85	इस प्रकरण पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्य--कता पड़ने पर वार्ता कर ली जाये और समय-समय पर उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर लिया जाये ।
50-	परिषद की कानपुर योजना सं0-1 में समाविष्ट ग्राम लखनपुर के खसरा नं0-122, 123, 124, 125, 126, 127, तथा 111, 112, 113, को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(50)/85	परिषद की कानपुर योजना सं0-1 में समाविष्ट ग्राम लखनपुर के खसरा नं0-122, 123, 124, 125, 126, 127, तथा 111, 112, 113, को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया ।
51-	परिषद की तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी में समाविष्ट लोक कल्याण ट्रस्ट वाराणसी के भूखण्ड सं0-293, 294, 295, 296, एवं 297 क्षेत्रफल 975 वर्गमीटर भूमि को अर्जन से अवमुक्त करने के संबंध में ।	चतुर्थ/(51)/85	तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी में समाविष्ट लोक कल्याण ट्रस्ट, वाराणसी के भूखण्ड संख्या 293, 294, 295, 296, 297, को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया और विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर मामला साथ-साथ पर आवश्यकता पड़ने पर अनुसरण किया जाये ।
56-	परिषद की पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 व 3 बाराबंकी में श्रीमती राज किशोरी देवी की भूमि सं0-108, 109 तथा 338 को अर्जन मुक्त किये जाने के संबंध में ।	चतुर्थ/(56)/85	पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 व 3 बाराबंकी में श्रीमती राज किशोरी देवी की भूमि सं0-108, 109, तथा 338 अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि योजना हित में रास्ते के लिये जितनी भूमि आवश्यक हो उतनी अर्जन करते हुये शासन के आदेशों का पालन कर लिया जाये तथा शासन को भी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाये ।
57-	भूमि अर्जन के सम्बन्ध में गत बैठक के निर्णय के अनुसार विचाराधीन और मानक समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में ।	चतुर्थ/(57)/85	भूमि अर्जन के सम्बन्ध में गत बैठक के निर्णय के अनुसार गठित मानक समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराया गया ।

29-	आवास परिषद की जनपद वाराणसी में प्रस्तावित पाण्डेयपुर एवं तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, में प्रभावित काश्तकारों को एक्सग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(29)/85	वाराणसी में प्रस्तावित पाण्डेयपुर एवं तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में प्रभावित काश्तकारों को एक्सग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण के समस्त पहलुओं को देखते हुये उसके वित्तीय योजनाओं के लाभान्वित तथा वर्तमान अतिक्रमणों की स्थिति और तत्सम्बन्धी दूरगामी परिणामों की विस्तृत समीक्षा की जाये और परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
42-	इन्दिरा नगर योजना, देहरादून में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूमि हेतु निर्धारित विकसित भूमि दर पर पुनर्विचार।	चतुर्थ/(42)/85	इन्दिरा नगर योजना देहरादून के अन्तर्गत टेलीकम्युनिकेशन जल निगम तथा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन को आवंटित भूमि की दर के पुर्न मूल्यांकन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन समिति इस प्रकरण का दोबारा परीक्षण करलें और यह भी देख ले कि दोनों दरों में किन परिस्थितियों में इतना अन्तर है और उसका आधार क्या है। आवश्यकता होने पर इन संस्थाओं से भी विचार विमर्श किया जा सकता है। समिति द्वारा दरों का पुन निर्धारण कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
45-	श्रीमती पुष्पा रानी जैन को इन्दिरा नगर लखनऊ में स्वय वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदिष्ट भवन सं0-20/16पर लगाये गये अतिरिक्त ब्याज को माफ किये जाने के संदर्भ में।	चतुर्थ/(45)/85	श्रीमती पुष्पा रानी जैन को इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्व वित्त पोषित योजना में प्रदिष्ट भवन पर लगाये गये अतिरिक्त ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त की स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
46-	इन्दिरा नगर लखनऊ में स्वय वित्त पोषित योजनान्तर्गत वर्ष-82 के पंजीकृत व्यक्ति श्री देश दीपक वर्मा को भूमि मूल्य दर रू0 150/= प्रति वर्ग मीटर लगाये जाने के संदर्भ में।	चतुर्थ/(46)/85	श्री देश दीपक वर्मा को भूमि मूल्य दर रू0 150/= प्रति वर्गमीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त परिषद को ऐसा प्रतीत हुआ कि मूल्यांकन में विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं जिनका प्रकरण परीक्षण सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के प्रतिनिधि श्री शर्मा, आवास आयुक्त एवं सहायक सचिव द्वारा किया जाये और निर्णय लेने के लिये परिषद के समक्ष टिप्पणी प्रस्तुत की जाये।
47-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 पुरक अमरोहा में समाविष्ट श्रीमती नादिरा खान की भूमि खसरा सं0-3675 के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(47)/85	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, पुरक में समाविष्ट श्रीमती नादिरा खान की भूमि खसरा सं0-3675 के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्रीमती खान की प्रार्थना के संदर्भ में प्रकरण के सभी पहलुओं का विधिक परीक्षण परिषद के विधि अधिकारी द्वारा कर लिया जाये और परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

1	2	3	4
58-	श्री राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव को प्रि परिषद में पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/1581/85	श्री राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव को परिषद में पुनर्स्थापित करने के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि अधिकारी की राय ले ली जाये और यदि वे आवश्यक समझें तो विधि परामर्शी का मार्ग दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं । वे नियुक्ति प्राधिकारी को अपनी आख्या प्रेषित करेंगे । नियुक्ति प्राधिकारी परिषद को की गयी आवश्यक कार्य--वाही से अवगत करायेंगे ।
63-	परिषद की देहरादून योजना में श्रीमती कमला खैरोला को मध्यम आय वर्ग का भवन किश्तों में आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/1631/85	देहरादून योजना में श्रीमती कमला खरोला को मध्यम आय वर्ग का भवन किश्तों में आवंटित करने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरा--न्त यह निर्णय लिया गया कि देहरादून योजनाओं में कोई भवन उपलब्ध नहीं है और इन्दिरानगर योजना में भूखण्ड ही उपलब्ध है अतः इन्हें इन्दिरानगर योजना देहरादून में किश्तों पर भूखण्ड आवंटि-त किया जा सकता है। इसके संबंध में आवास आयुक्त आवश्यक कार्यवाही करें ।
64-	आवास परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना मुरादाबाद में समाविष्ट श्री इकबाल नबी के खसरा सं0-331 के अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/1641/85	दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में समाविष्ट श्री इकबाल नबी की खसरा सं0-331 की भूमि अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री नबी का मामला पिछले काफी समय से परिषद में लम्बित है परन्तु भूमि अर्जन के संबंध में सारी प्रक्रियायें समाप्त हो चुकी है और परिषद स्तर पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण को शासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये संदर्भित किया जाये ।

पुष्टि की गयी
[signature]
अध्यक्ष